संख्या ... XVII ... 2008—01(08) ... 2008

प्रेषक,

एस. के. दास

मुख्य सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

3. निबन्धक,
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

4. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तराखण्ड।

5. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

6. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

देहरादून: 01 फरवरी 2008

समाज कल्याण अनुभाग—01.

विषय :'अनुसूचित जाति' शब्द के स्थान पर 'दलित' शब्द के प्रतिषेध के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार के आदेशानुसार 'अनुसूचित जाति' शब्द के स्थान पर 'दलित' शब्द का प्रयोग गैरसंवैधानिक है। इस सम्बन्ध में दिनांक 16 अक्टूबर 2007 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा दिया गया आदेश निम्नवत् है—

"It was also brought to the notice of the Commission that some of the Government Departments/Ministries are using 'Dalit' word as inter changeable with the word 'SC' which perhaps is not legally correct. Word SC stands defined in the Constitution of India is Article 341 and 366, but word Dalit is not having any legal sanctity either under Constitution or under any law for the time being in force. It was decided that a letter should be sent to all the Ministries/Departments of Central Government and State Governments not to use 'Dalit' word as interchangeable with SCs in future."

तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत के संविधान की भावना के अनुरूप शासकीय भाषा एवं कार्यों में 'अनुसूचित जाति' शब्द के स्थान पर 'दलित' शब्द का प्रयोग कदापि न किया जाए। कृपया आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एस. के. दास)

मुख्य सचिव।